न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—269/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/269)

1. "अजमेर महानगर कायस्थ सभा, अजमेर राजस्थान जरिए अध्यक्ष" राजकुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व0 श्री एस0के0कुलश्रेष्ठ जाति कायस्थ निवासी दिव्या विला न्यू चंद्र नगर, आबकारी के पीछे, तारागढ रोड रामगंज, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्री बालमुकुंद शर्मा पुत्र स्व0 श्री कुन्ज बिहारी जी तथाकथित पुजारी/महंत जाति ब्राहमण निवासी पुराना मंदिर, मेयो लिंक रोड, अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 आदेश दिनांक 24.10.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर राजस्व वाद संख्या 24/2018 व मूल वाद संख्या 131/2016 बउनवानी राजकुमार बनाम बालमुकुंद।

उपस्थितः—

1. श्री सुमित जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0के0 दोषी, गिरीश पारीक अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः—19.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध रेस्पोडेंट सहायक कलेक्टर मु0 अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किए जाने के आदेश पारित किए गए। रेस्पोडेंट की ओर से दिनांक 18.10.2016 को अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई तथा दिनांक 28.02.2017 को रेस्पोडेंट की ओर से यू0टी0 दी गई तथा वादी/अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलांट का वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.10.2018 को पुनः अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ

न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29/11/2021 को जब विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी की आराजी से उसे महरूम करने की नियत से उसकी खातेदारी की आराजी में जबरन प्रवेश करने की कुचेष्टा की एवं प्रार्थी की कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने लग गए तब प्रार्थी ने अपने अभिभाषक से संपर्क किया तो ज्ञात हुआ की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अदम हाजरी/अदम पैरवी में ही तय किया जा चूका है जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की नक़ल हेतु आवेदन किया जो की प्रार्थी को दिनांक 08/12/2021 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात प्रार्थी अभिभाषक नियुक्त कर जानकारी से अंदर समयावधि उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब प्रार्थी के ज्ञान के अभाव मे सद्भाविक होकर क्षम्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या–1 में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/10/2018 के विरुद्ध उक्त उनवानी अपील प्रस्तुत किये जाने के कथन बाबत विवाद नहीं है। लेकिन प्रस्तुत अपील में उल्लेखित तथ्यों के आलेख में यह कथन दौहराया जाना आवश्यक हो गया है कि मौजूदा प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद संख्या–131/2016 उनवानी श्री राजकुमार बनाम श्री बालमुकन्द की उनवानी का प्रस्तुत किया गया या जिसको अदम पैरवी अदम हाजरी में दिनांक 28/02/2017 को निरस्त कर दिया गया था। इस वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–9 नियम 9 सपठित धारा–151 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया या, जिसको भी अदम पैरवी, अदम हाजरी में दिनांक 24/10/2018 को निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित ही नहीं किया गया तो इसकी अपील भी माननीय अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तत नहीं की जा सकती है। यदि अपीलार्थी कोई चाराजोही करना चाहता था तो उक्त आदेश दिनांक 24/10/2018 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही इसको पुनः नम्बर पर लिये जाने के लिये अन्तरनिहित शक्तियों, अन्तर्गत धारा 151 मे विधिवत रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। जिसको यदि गुणावगुण पर निरस्त किया जाता तो ही वर्तमान विधिक प्रावधान में अपील प्रस्तुत की जा सकती थी। लेकिन अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/10/2018 के बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई चाराजोही नहीं किये जाने से

वर्तमान स्वरूप में यह अपील पोषनीय नहीं होने से परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का भी अपीलार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या–2 में अपीलार्थी का यह कथन कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/10/2018 की जाकारी सर्वप्रथम दिनांक 29/11/2021 को जब अप्रार्थी के द्वारा खातेदारी की भूमि में जबरन प्रवेश करने की कुचेश्टा की गई हो और दखलन्दाजी करने लग गये हो जिस प्रकार से जिस संदर्भ में अंकित किया गया है भी सही नहीं होने से अस्वीकार है। यह निवेदन किया जाना उपयुक्त हो गया है कि अप्रार्थी के द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–20/27 पुलिस थाना सिविल लाईन्स, अजमेर के समक्ष अभियुक्तगण राजकुमार कुलश्रेष्ठ, हेमन्त कुमार पुत्र अमर सिंह, केसर सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह, सुमित गुप्ता उर्फ रिन्कु पुत्र सुरेश गुप्त व रामा गुर्जर पुत्र श्री रामस्वरूप गुर्जर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–147, 447 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवायी गयी थी, जिसपर बाद अनुसंधान थाना सिविल लाईन के द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नियमित अपराधीक प्रकरण संख्या–211/2007 न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–3, अजमेर के समक्ष राज्य सरकार बनाम राजकुमार कुलश्रेष्ठ व अन्य का प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण का गुणावगुण पर दिनांक 04/02/2019 को निर्णय किया जाकर मौजूदा अपीलार्थी राजकुमार कुलश्रेष्ठ को दोष सिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–447 में भारतीय दण्ड संहिता में दण्डित किया जाकर तीन माह के कठोर कारावास एवं रु 500/– अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही विवादित भूमि के लिये यह निर्णय हुआ कि अभियुक्त राजकुमार कुलश्रेष्ठ के द्वारा परिवादी पक्ष की भूमि जो कि मंदिर श्री चारभुजानाय की थी, से परिवादी पक्ष को अवैध व अनाधिकृत रूप से आपराधिक अतिचार कर बेदखल किया गया है, के लिये अन्तर्गत धारा–456 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वृत निरीक्षक पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर को निर्देशित किया गया कि वह हल्का पटवारी के निशानदेही से विवादित जमीन का कब्जा पुनः परिवादी पक्ष को दिलाकर अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अपीलार्थी के द्वारा यह फौजदारी प्रकरण कनटेस्ट किया गया और आदेश दिनांक 07/02/2019 का ज्ञान रखते हुए इसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में लम्बित है, तो फिर अपीलार्थी को मौजूदा प्रार्थना पत्र में यह कथन कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29/11/2021 को हुई तब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया गया और उनके द्वारा अदम पैरवी, अदम हाजरी में प्रकरण तय कर दिया गया हो की सूचना दी गई हो, सम्पूर्णतः झूठ का पुलन्दा होकर इसके आधार पर देरी को क्षमा कराये जाने के लिये कोई भी आधार विद्यमान नहीं करता है। अपीलार्थी को प्रश्नगत आदेश दिनांक 24/10/2018 से वर्तमान अपील प्रस्तुत करते समय कारित हुई प्रत्येक दिवस की देरी को क्षमा कराये जाने के लिये युक्तियुक्त कारण एवं आधार दर्शाये जाने है, जो मौजूदा प्रार्थनापत्र में विद्यमान नहीं होने से अपीलार्थी देरी को क्षमा कराये जाने के लिये किसी भी रूप में अधिकृत नहीं हुआ है। शेष अभिकथन अपील प्रस्तुत करने के लिये उक्त फौजदारी प्रकरण में पारित हुए निर्णय दिनांक 07/02/2019 को देखते हुए एक कहानी बनाये जाने का प्रयास किया गया है। जिसका कोई भी लाभअपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की पैरा संख्या–3 में अपीलार्थी का यह कथन कि कारित हुआ विलम्ब प्रार्थी के ज्ञान के अभाव में सदभाविक होकर क्षम्य हो भी

उक्त दिये गये विस्तृत जवाब को देखते हुए असत्य होकर अस्वीकार है। जब अपीलार्थी को फौजदारी प्रकरण में जरिये आदेश दिनांक 07/02/2019 से सजा हुई तब ही उसको पारित निर्णय से पुनः परिवादी को कब्जा दिलाये जाने के आदेश से उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वाद व उसको पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु की गई कार्यवाही का ज्ञान हो चुका था। अपीलार्थी अपने अधिकारों के प्रति कभी भी सजग नहीं रहा है, तो फिर साम्यता का अनुतोष भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता है। अपीलार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में कितने दिवस की देरी हुई है, के लिये भी कोई अवधि अंकित नहीं की गई है। शेष अनुतोष है जो अपीलार्थी किसी भी रूप में प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजकुमार कुलश्रेष्ठ के द्वारा मूल वाद संख्या–131/2016 राजकुमार बनाम बालमुकन्द की उनवानी का प्रस्तुत किया गया था, जबकि वर्तमान में मौजूदा प्रार्थना पत्र एवं मूल अपील अजमेर महानगर कायस्थ सभा, अजमेर राजस्थान के द्वारा जरिये इसके अध्यक्ष राजकुमार कुलश्रेष्ठ प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को जो उनवान अधीनस्थ न्यायालय में था, को परिवर्तित करने का कोई हक व अधिकार नहीं होने से मूल अपील भी इस आधार पर पोषनीय नहीं होने से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर भी निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय पर कपट से साम्यता का अनुतोष प्राप्त किये जाने के लिये जानबूझकर मलिन हाथों से तथ्यों का छिपाकर दुर्भावना पूर्ण आशय से मंदिर की खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द किये जाने के लिये मिथ्या आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विशिष्ट खर्चे सहित निरस्त फरमाये जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र

को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने इस विधिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया की अपीलान्ट द्वारा धारा 188 वास्ते स्थायी निषेधाजा का वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर पत्रावली दिनांक 27–02–2017 को वास्ते प्रतिवादी जवाब के लिए नियत की गयी थी जिस पर प्रतिवादी को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब प्रस्तुत किया जाना था एवं उसी दिवस को रेस्पोंडेंट द्वारा नियुक्त नए अभिभाषक द्वारा यू.टी. दी गयी थी किन्तु तहत न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति के आधार पर अपीलान्ट का वाद निरस्त किये जाने में घोर वैधानिक त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिंदु को दरकिनार कर दिया की उनके समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का दिनांक 22.03.2017 को प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन अंकित किया गया था की अपीलान्ट स्लीप डिस्क से ग्रसित होने के कारण बेड रेस्ट पर है एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किया जावे जिसमे तहत न्यायालय प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो पायी एवं गत पेशी दिनांक 27. 08.2018 को पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से आगामी पेशी दिनांक 24.10.2018 नियत की गयी जिस पर दिनांक 24.10.2018 को अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी/अदम पैरवी में निस्तारित कर खारिज फरमा दिया गया जो की न्याय की मंशा के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने इस विधिक तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया की माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय बोर्ड ने अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है की न्यायालय का यह विधिक दायित्व है की उनके समक्ष प्रस्तुत वाद को किसी तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं करते हुए गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिए जिससे) अनावश्यक वादों की बहुलयता ना बढे एवं वाद के किसी भी पक्ष को कोई भी विधिक क्षति कारित नहीं हो उक्त सिद्धांतो की अवहेलना कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। सहायक कलेक्टर (मुख्यालय), अजमेर ने इस विधिक बिंदु पर ध्यान नहीं दिया की अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पश्चात अपीलान्ट किस प्रकार अपनी खातेदारी कब्ज़े काश्त की आराजी पर अपने वैधानिक अधिकारों की रक्षा कर पायेगा जिसे नहीं समझकर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कायम की है जो की प्रस्तुत अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिंदु को भी दरकिनार कर दिया की अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक स्तर पर ही था जिसमे विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना शेष था तथा अपीलान्ट सदैव से ही अपने उक्त वाद के प्रति सजग रहा है एवं उक्त वाद का निस्तारण गुणावगुण पर करना चाहता है जिसे नहीं समझकर बिना कोई आदेश अंकित किये निर्णीत करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल कारित की है जो की काबिल निरस्तनीय है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रकरण

संख्या 24/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अनुपस्थित रहे थे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के अभिभाषक को भिन्न भिन्न समय में तीन बार आवाजे लगाई गई, परंतु उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पैरवी नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

वादी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.03.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.10.2018 को वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पुनः अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से यह पाया कि वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दिनांक 05.07.2016 को प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.10.2016 को प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 28.11.2016 को प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। दिनांक 28.02.2017 को प्रतिवादी की ओर से अन्य अभिभाषक द्वारा प्रकरण में यूटी प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 28.02.2017 को पारित किए गए।

वादी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आदेश दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध दिनांक 23.03.2017 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात पत्रावली आगामी तारीख पेशियों में नियत रही। दिनांक 24.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पुनः अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो बार उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/अपीलांट के वाद को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया है। यह सब तथ्य वादी/अपीलांट के वर्तमान प्रकरण में उदासीनता व लापरवाही को दर्शाते हैं। अपीलांट द्वारा इस तथ्य पर

ध्यान नहीं दिया गया कि न्यायालय के समक्ष केवल वाद प्रस्तुत करने से ही उपचार प्राप्त नहीं होता है। न्यायालय से उपचार प्राप्त करने हेतु प्रकरण में नियमित रूप से जागरूक रहकर प्रत्येक पेशियों पर जरिए अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में कार्यवाही किया जाना भी आवश्यक है, परंतु वर्तमान प्रकरण में वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद व प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया।

वादी/प्रार्थी द्वारा अपने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र में कथन किए गए कि वादी स्लीप डिस्क की परेशानी हो जाने के कारण प्रकरण में आगामी तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हो सका तथा वादी/अपीलांट द्वारा चिकित्सक की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय बोर्ड ने अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है की न्यायालय का यह विधिक दायित्व है की उनके समक्ष प्रस्तुत वाद को किसी तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं करते हुए गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना चाहिए जिससे अनावश्यक वादों की बहुलयता ना बढे एवं वाद के किसी भी पक्ष को कोई भी विधिक क्षति कारित नहीं हो। विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धांत है कि अभिभाषक की लापरवाही की सजा पक्षकार को नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय हाजा द्वारा इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वादी/अपीलांट को न्याय की मंशा से एक सदभाविक अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर अपीलांट/वादी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में जरिए अभिभाषक नियमित रूप से पैरवी कर अधीनस्थ न्यायालय से अपना उपचार प्राप्त करें।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1 में यह निर्धारित किया गया है कि किन आदेशों की अपीले होगी।

Appeals from orders. An appeal shall lie from the following orders under the provisions of section 104, namely:-
(c) an order under rule 9 of Order IX rejecting an application (in a case open to appeal) for an order to set aside the dismissal of a suit.

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर वादी/अपीलांट को एक सदभाविक अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट **2000/—रूपए की कोस्ट पर** आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मु0) जिला अजमेर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 प्रकरण संख्या 24/2018 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2018 व मूल वाद प्रकरण संख्या 131/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2017 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादी द्वारा राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन के कोष में **2000/— रूपए** जमा कराने के पश्चात उसकी रसीद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को पुनः नम्बर पर

लिया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.02.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर